पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

मंगलवार, 11 सितंबर, 2018 को पूर्वाह्न 10.30 बजे तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डेन, नई विल्ली - 110004 में आयोजित कंपनी की 32वीं वार्षिक आम बैठक की ई-वोटिंग और भौतिक बैलट वोटिंग प्रक्रिया के परिणाम

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन की बाध्यताएं और प्रकटन की आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार, कंपनी ने शेयरधारकों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की थी ताकि वे 32वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) दिनांक 03 अगस्त, 2018 के नोटिस में प्रस्तावित मदों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अंतर्गत प्राप्त नोटिस दिनांक 27 अगस्त, 2018, जिसके बारे में शेयरधारकों को समाचार पत्र प्रकाशन दिनांक 31 अगस्त, 2018 के माध्यम से सूचित किया गया था, के अनुसरण में एक अतिरिक्त मद पर इलेक्ट्रोनिक रूप से अपना वोट डाल सकें। इसे कंपनी की वेबसाइट और स्टॉक एक्सचेंज पर भी उपलब्ध कराया गया था। ई-वोटिंग की अवधि 08 सितंबर, 2018 को पूर्वाहन 10.00 बजे शुरू हुई थी तथा 10 सितंबर, 2018 को अपराहन 5.00 बजे समाप्त हुई थी।

इसके अलावा, शेयरधारकों ने 32वीं वार्षिक आम बैठक में भौतिक बैलट के माध्यम से भी अपने वोट डाले थे।

श्री सचिन अग्रवाल, अभ्यासी (प्रैक्टिसिंग) कंपनी सचिव को एजीएम में निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से ई-वोटिंग और भौतिक बैलट के संचालन के लिए स्क्रूटनाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया। स्क्रूटनाइज़र ने 10 सितंबर, 2018 को अपराह्न 5.00 बजे तक प्राप्त सभी इलेक्ट्रोनिक वोटों के अलावा बैठक की समाप्ति तक प्राप्त सभी भौतिक बैलट पेपर की जांच की है और अपनी रिपोर्ट दिनांक 12 सितंबर, 2018 प्रस्तुत की है। उन्होंने सूचित किया है कि शेयरधारकों के नाम से पंजीकृत शेयरों के प्रदत्त मूल्य के आधार पर उनके मताधिकारों की गणना करने पर यह पाया गया है कि शेयरधारकों ने सभी प्रस्तावित संकल्पों पर अपनी सहमित व्यक्त की है। अपनी रिपोर्ट में श्री सचिन अग्रवाल ने निम्नलिखित की पृष्टि की है:

1. संकल्प संख्या 1 : साधारण संकल्प

"संकल्प किया जाता है कि निदेशक रिपोर्ट, सांविधिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट, सचिवीय लेखा परीक्षक रिपोर्ट और उस पर प्रबंधन के जवाब तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अंकेक्षित एकल वित्तीय विवरण और समेकित वित्तीय विवरण इसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, विचारित किए जाते हैं और अंगीकृत किए जाते हैं।"

विवरण	रिमोट ई-वोटिंग		एजीएम में वोटिंग			प्रतिशतता (%)	
	संख्या	वोट	संख्या	वोट	संख्या	वोट	(70)
सहमत	409	495115327	66	1733169939	475	2228285266	100
असहमत	3	240	1	20	4	260	0
मतदान में भाग न लेना	4	5067686	0			5067686	

इस प्रकार अपेक्षित बहुमत के साथ संकल्प संख्या 1 को अनुमोदित किया गया है।

2. संकल्प संख्या 2: साधारण संकल्प

"संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल द्वारा 03 नवंबर, 2017 और 26 फरवरी, 2018 को आयोजित अपनी बैठकों में पारित संकल्प के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए शेयरधारकों को 10 रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर के लिए प्रति शेयर प्रदत्त क्रमश: 6 रुपए और 1.80 रुपए के अंतरिम लाभांश, जिसका सकल मूल्य 2,059.26 करोड रुपए है, को इसके द्वारा नोट किया जाता है और अभिपृष्टि की जाती है।"

विवरण	रिमोट ई-वोटिंग		एजीएम में वोटिंग			प्रतिशतता (%)	
	संख्या	वोट	संख्या	वोट	संख्या	वोट	
सहमत	406	496208391	66	1733169939	472	2229378330	100
असहमत	8	47387	1	20	9	47407	0
मतदान में भाग न लेना	2	3425449	0	0	2	3425449	

इस प्रकार अपेक्षित बहुमत के साथ संकल्प संख्या 2 को अनुमोदित किया गया है।

3. सकल्प संख्या 3 : साधारण संकल्प

"संकल्प किया जाता है कि श्री चिन्मय गंगोपाध्याय (डीआईएन: 02271398), जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण पुन: नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया है, को एतदद्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में पुन: नियुक्त किया जाता है।"

विवरण	रिमोट ई-वोटिंग		एजीएम में वोटिंग		कुल		प्रतिशतता (%)
	संख्या	वोट	संख्या	वोट	संख्या	वोट	
सहमत	237	360102799	66	1733169939	303	2093272738	93.89
असहमत	173	136152434	1	20	174	136152454	6.11
मतदान में भाग न लेना	6	3425994	0	0	6	3425994	

इस प्रकार अपेक्षित बहुमत के साथ संकल्प संख्या 3 को अनुमोदित किया गया है।

4. संकल्प संख्या 4 : साधारण संकल्प

"संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत भारत के नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक, शुल्क आदि नियत करने के लिए एतदद्वारा अधिकृत किया जाता है।"

विवरण	रिमोट ई-वोटिंग		एजीएम में वोटिंग		कुल		प्रतिशतता (%)
	संख्या	वोट	संख्या	वोट	संख्या	वोट	
सहमत	403	493799373	66	1733169939	469	2226969312	99.89
असहमत	11	2456340	1	20	12	2456360	0.11
मतदान में	3	3425514	0	0	3	3425514	
भाग न लेना							

इस प्रकार अपेक्षित बहुमत के साथ संकल्प संख्या 4 को अनुमोदित किया गया है।

5. संकल्प संख्या 5 : विशेष संकल्प

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152, उसके तहत बनाई गई नियमावली के प्रावधानों तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुपालन में श्रीमती गौरी चौधरी, 76 वर्ष (डीआईएन: 07970522), जिनको विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा पत्र संख्या 20/8/2016-समन्वय (खंड-ii) दिनांक 22 सितंबर, 2017 के जिरए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और इसके बाद कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार 3 नवंबर, 2017 से इस वार्षिक आम बैठक की तिथि तक पद पर बने के लिए निदेशक मंडल द्वारा अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, तथा कंपनी द्वारा श्रीमती गौरी चौधरी से लिखित रूप में इस आशय का नोटिस प्राप्त होने पर कि कंपनी के निदेशक के पद के लिए वह अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत करती हैं, को एतदद्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों एवं निबंधनों पर कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।"

विवरण	रिमोट ई-वोटिंग		एजीएम में वोटिंग		कुल		प्रतिशत (%)
	संख्या	वोट	संख्या	वोट	संख्या	वोट	
सहमत	381	481758478	66	1733169939	447	2214928417	100
असहमत	26	18180	1	20	27	18200	0
मतदान में भाग न लेना	9	17904569	0	0	9	17904569	

इस प्रकार अपेक्षित बहुमत के साथ संकल्प संख्या 5 को अनुमोदित किया गया है।

6. संकल्प संख्या 6 : विशेष संकल्प

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी (प्रतिभूतियों की विवरणिका एवं आबंटन) नियमावली 2014 के नियम 14(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों के अनुपालन में, वर्तमान एजीएम की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान भारत में और/या भारत के बाहर 65,000 करोड रुपए तक के प्रतिभूत / अप्रतिभूत, मोचनीय, अपरिवर्तनीय, कराधेय, कर मुक्त, सीनियर / सबार्डिनेटेड बॉण्डों / डिबेंचरों / नोट्स / ऋण प्रतिभूतियों के निजी नियोजन के माध्यम से निधियां जुटाने के लिए इसके द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी का निदेशक मंडल (निदेशक मंडल या निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किसी प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से गठित कोई समिति सहित) इसके द्वारा वर्तमान एजीएम की तिथि से एक वर्ष की अविध के दौरान भारत में और/या भारत के बाहर 65,000 करोड रुपए तक के प्रतिभूत / अप्रतिभूत, मोचनीय, अपरिवर्तनीय, कराधेय, कर मुक्त, सीनियर / सबार्डिनेटेड बॉण्डों / डिबेंचरों / नोट्स / ऋण प्रतिभूतियों (बॉण्ड) के निजी नियोजन को सब्सक्राइब करने के लिए प्रस्ताव या आमंत्रण देने के लिए और बॉण्डों के निर्गम के संबंध में ऐसे सभी कार्यों, कृत्यों और चीजों को करने के लिए अधिकृत है जो आवश्यक समझा जा सकता है जिसमें बॉण्डों का अंकित मूल्य, निर्गम मूल्य, टाइमिंग, राशि, प्रतिभूति, कूपन / ब्याज दर, लब्धि, सूचीयन, आबंटन तथा बॉण्डों के निर्गम की अन्य शर्तें एवं निबंधन शामिल हैं परंतु इतने तक ही सीमित नहीं है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी का निदेशक मंडल (निदेशक मंडल या निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किसी प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से गठित कोई समिति सहित) इसके द्वारा उपर्युक्त संकल्पों को प्रभावी बनाने के लिए ऐसे सभी कार्यों, कृत्यों और चीजों को करने के लिए अधिकृत है जो आवश्यक समझा जा सकता है।"

विवरण	रिमोट ई-वोटिंग		एजीएम में वोटिंग			प्रतिशत (%)	
	संख्या	वोट	संख्या वोट		संख्या	वोट	
सहमत	406	496526483	66	1733169939	472	2229696422	100
असहमत	9	4744	1	20	10	4762	0
मतदान में	1	3150000	0	0	1	3150000	
भाग न लेना							

इस प्रकार अपेक्षित बहुमत के साथ संकल्प संख्या 6 को अनुमोदित किया गया है।

7. संकल्प संख्या 7 : विशेष संकल्प

"संकल्प किया जाता है कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 582 (ई) दिनांक 13 जून, 2017 के साथ पिठत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 - 232 के प्रावधानों, इसके तहत बनाए गए नियमों, पिरपत्रों एवं अधिसूचनाओं (कोई सांविधिक संशोधन या उसका पुन: अधिनियमन सिहत) के अन्य लागू प्रावधानों के अनुपालन में, जो लागू हो सकते हैं और कंपनी के संगम ज्ञापन एवं संस्था के अंतर्नियम के प्रावधानों के अधीन तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के ऐसे अन्य अनुमोदन, सहमित एवं अनुमित के अधीन जो आवश्यक हो सकती है तथा ऐसी शर्तों एवं संशोधनों के अधीन जो सहमित, अनुमोदन एवं अनुमित प्रदान करते समय कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या अन्य प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित या आरोपित किए जा सकते हैं जिस पर कंपनी का निदेशक मंडल (बोर्ड) सहमत हो सकता है जिसका अर्थ समझा जाएगा तथा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (अंतरिती कंपनी) के साथ पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (अंतरक कंपनी) एवं उसके अपने शेयरधारकों एवं ऋणदाताओं के विलय के लिए व्यवस्था की योजना (योजना) में शामिल व्यवस्था जिसे इसे बैठक के समक्ष रखा गया और पहचान के प्रयोजनार्थ सक्षम प्राधिकारी द्वारा लाया गया, के लिए बोर्ड या किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) जिसे बोर्ड इस संकल्प द्वारा प्रदान की गई शक्तियों सहित अपनी शक्तियों का प्रयोग

करने के लिए नामित कर सकता है, द्वारा गठित / गठित की जाने एक या अधिक समितियां इसके द्वारा अनुमोदित की जाती हैं।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड इसके द्वारा उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने एवं इस योजना में शामिल व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने और ऐसे संशोधनों, सुधारों, सीमाओं और/या शर्तों, यदि कोई हो, जो योजना में शामिल व्यवस्था को संस्वीकृत करते समय कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा या कानून के तहत किसी प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित और/या आरोपित हो सकती हैं, या ऐसे किसी प्रश्न या शंका या कठिनाई जो उत्पन्न हो सकती है, के समाधान के प्रयोजनार्थ अपेक्षित हो सकती हैं जिसमें लेखांकन की ऐसी प्रविष्टियों को पारित करना और/या लेखा बहियों में ऐसे समायोजन करना शामिल है जो योजना को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक समझे जा सकते हैं, जिसे बोर्ड उपयुक्त एवं उचित समझे, स्वीकार करने के लिए ऐसे सभी कार्यों, कृत्यों, मामलों एवं चीजों को करने के लिए अधिकृत है जिसे यह अपने निरपेक्ष विवेक के अनुसार आवश्यक, वांछनीय, उपयुक्त या अपेक्षित समझे।

विवरण	रिमोट ई-वोटिंग		एएजीएम में वोटिंग		कुल		प्रतिशत (%)
	संख्या	वोट	संख्या	वोट	संख्या	वोट	
सहमत	406	496526483	66	1733169939	472	2229696422	100
असहमत	9	4744	1	20	10	4764	0
मतदान में	1	3150000	0	0	1	3150000	
भाग न लेना							

इस प्रकार अपेक्षित बहुमत के साथ संकल्प संख्या 7 को अनुमोदित किया गया है।

8. संकल्प संख्या 8 : साधारण संकल्प

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152, उसके तहत बनाई गई नियमावली के प्रावधानों तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुपालन में श्री प्रवीण कुमार सिंह वर्ष (डीआईएन: 03548218), जिनको विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपित द्वारा पत्र संख्या 24-8/1/2017-पीएफसी (एमओपी) दिनांक 23 अगस्त, 2018 के जिरए निदेशक (वाणिज्यिक) के रूप में नियुक्त किया गया था और इसके बाद 10 अगस्त, 2018 से इस वार्षिक आम बैठक की तिथि तक पद पर बने के लिए निदेशक मंडल द्वारा अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, तथा कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की 161 और इसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली के तहत श्री प्रवीण कुमार सिंह से लिखित रूप में इस आशय का नोटिस प्राप्त होने पर कि कंपनी के निदेशक (वाणिज्यिक) के पद के लिए वह अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत करते हैं जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो सकते हैं, को एतदद्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों एवं निबंधनों पर कंपनी के निदेशक (वाणिज्यिक) के रूप में नियुक्त किया जाता है।"

विवरण	रिमोट	: ई-वोटिंग	एजी	एम में वोटिंग	कुल		प्रतिशत (%)
	संख्या	वोट	संख्या	वोट	संख्या	वोट	
सहमत	224	343361645	67	1733169959	291	2076531604	100

असहमत	10	10573	0	0	10	10573	0
मतदान में भाग न लेना	182	156811035	0	0	182	156811035	

इस प्रकार अपेक्षित बहुमत के साथ संकल्प संख्या 8 अनुमोदित किया गया है।

यहां ऊपर प्रदान किए गए ब्योरे के अनुसार, स्क्रूटनाइज़र की रिपोर्ट के आलोक में, मैं, राजीव शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पीएफसी घोषणा करता हूँ कि 32वीं वार्षिक आम बैठक में प्रस्तावित सभी संकल्प अपेक्षित बहुमत से पारित किए गए हैं। उपर्युक्त परिणामों को तद्नुसार अधिसूचित किया जा सकता है।

कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

ह/-(राजीव शर्मा) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन नंबर: 00973413

स्थान : नई दिल्ली

तिथि: 12 सितंबर, 2018



119 & 127, Vardhman Star City Mall Sector 7, Dwarka, New Delhi-110075 Email Id: sachinag1981@gmail.com

Phone: 011-45052182; Mobile: 9811549887

CONSOLIDATED SCRUTINIZER'S REPORT

(Pursuant to Section 108 of the Companies Act 2013 and Rule 20(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by Companies (Management and Administration) Rules, 2015)

To,
The Chairman and Managing Director
Power Finance Corporation Limited
Urjanidhi', 1, Barakhamba Lane,
Connaught Place,
New Delhi - 110001

Reg.: 32nd Annual General Meeting of the members of Power Finance Corporation Limited held on Tuesday, 11th Day of September, 2018 at Talkatora Indoor Stadium, Talkatora Garden, New Delhi-110004.

Sub: Consolidated Scrutinizer's Report on voting through electronic means (remote e-voting) and poll process conducted pursuant to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 108 of Companies Act 2013 ("the Act") read with Rule 20 (4)(xii) of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 read with Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015.

Dear Sir,

I, Sachin Agarwal, Partner, Agarwal S. & Associates, Company Secretaries, having office at 119 & 127, Vardhman Star Citi Mall, Sector-7, Dwarka, New Delhi-110075 had been appointed as the Scrutinizer by the Board of Directors of **Power Finance Corporation Limited** (the Company) having it's registered office at Urjanidhi', 1, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi–110001 vide resolution dated July 24th, 2018, pursuant to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 108 of Companies Act 2013 read with Rule 20 & 21 of Companies (Management & Administration) Amendment Rules, 2015 to conduct the remote e- voting process and to scrutinize physical poll process by the Shareholders in respect of the below mentioned resolutions passed at 32nd Annual General Meeting of the Company held on 11th Day of September, 2018.

The notice dated 3rd August, 2018 convening AGM of the Company was sent to the Shareholders.

The Company has provided the voting through electronics means (remote e- voting) facility offered by **Karvy Computershare Private Limited (Karvy)**, for conducting remote e- voting by the shareholders of the Company. The shareholders of the Company holding shares as on the "Cut – Off" date i.e. 3rd September, 2018 were entitled to vote on the proposed resolutions as set out at item

Page 1 of 10

New Delhi

nos. 1 to 7 in the notice convening of 32nd Annual General Meeting of the Company and an additional item no. 8 circulated to the shareholders vide newspaper publication dated 31st August, 2018.

The voting period for remote e- Voting commenced on Saturday, 8th September 2018 at 10.00 am and ended on Monday, 10th September 2018 at 5.00 pm and the remote e-Voting platform was blocked thereafter. After the closure of the voting at Annual General Meeting held on 11.09.2018, the report of voting done at the meeting was generated in my presence.

The voting pattern was unblocked by us on Tuesday, 11th Day of September, 2018 in the presence of Ms. Anuradha Jain and Mr. Dipanshu, who are not in employment of the Company.

Ms. Anuradha Jain

Anvadhe

Mr. Dipanshu

I have scrutinized the consolidated voting in a fair & transparent manner based on the data downloaded from the Karvy Computershare Private Limited remote evoting plateform and the ballot papers received respectively.

Based on the result made available to us, 416 members have cast their vote on the e-voting platform and 67 members have casted their vote physically through poll papers. I hereby annex the Consolidated Voting results pursuant to Rule (20)(4)(xii) of (Companies Management & Administration) Amendment Rules, 2015 on all the resolutions contained in the notice of aforesaid Annual General Meeting and an additional resolution circulated to the shareholders vide newspaper publication dated 31st August, 2018.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For Agarwal S. & Associates,

Company Secretaries,

CS Sachin Agarwal Partner

FCS: 5774 COP: 5910

Date: 12.09.2018 Place: New Delhi राजीव शर्मा / RAJEEV SHARMA अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक

Chairman & Managing Director

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि॰/P.F.C. Ltd.
(शारत सरकार का उपक्रम)//A Gov. of India Undertaking
"ऊर्जानिधि", 1, बाराखंद्या लेन, कर्नाट प्लेस,

"URJANIDHI", 1, Barakhamba Lane, Connaught Plac नई दिल्ली -110001 / New Delhi-110001

Item No.	1
Subject Matter of resolution	To receive, consider and adopt the audited financial statements including consolidated financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2018, the Reports of the Board of Directors and Auditors thereon.
Type of Resolution	Ordinary

Particulars	ars Remote e-votes		Voting at A	GM	Tota	Percentage %	
	Number	Votes	Number	Votes	Number	Votes	
Assent	409	495115327	66	1733169939	475	2228285266	100.00
Dissent	3	240	1	20	4	260	0.00
Abstain	4	5067686	0	0	4	5067686	

Based on the aforesaid results, I report that the Ordinary Resolution as contained in the Item No. 1 of the Notice dated August 03, 2018 has been passed with requisite majority.

For Agarwal S. & Associates Company Secretaries

New Delhi

by Secre

CS Sachin Agarwal Partner C.P. No. 5910 FCS No. 5774

Item No.	2
Subject Matter of resolution	To confirm interim dividend as total dividend for the financial γear 2017-18.
Type of Resolution	Ordinary

Particulars	Remote e-votes		Voting at AGM		Total		Percentage %
	Number	Votes	Number	Votes	Number	Votes	
Assent	406	496208391	66	1733169939	472	2229378330	100.00
Dissent	8	47387	1	20	9	47407	0.00
Abstain	2	3425449	0	0	2	3425449	

Based on the aforesaid results, I report that the Ordinary Resolution as contained in the Item No. 2 of the Notice dated August 03, 2018 has been passed with requisite majority.

For Agarwal S. & Associates Company Secretaries

CS Sachin Agarwal Partner C.P. No. 5910 FCS No. 5774

Item No.	3
Subject Matter of resolution	To appoint a Director in place of Shri Chinmoy Gangopadhyay (DIN:02271398), who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.
Type of Resolution	Ordinary

Particulars	Remote e-votes		Voting at AGM		Total		Percentage %
	Number	Votes	Number	Votes	Number	Votes	
Assent	237	360102799	66	1733169939	303	2093272738	93.89
Dissent	173	136152434	1	20	174	136152454	6.11
Abstain	6	3425994	0	0	6	3425994	0.11

Based on the aforesaid results, I report that the Ordinary Resolution as contained in the Item No. 3 of the Notice dated August 03, 2018 has been passed with requisite majority.

For Agarwal S. & Associates Company Secretaries

New Delhi

by Secre

CS Sachin Agarwal

Partner C.P. No. 5910 FCS No. 5774

Item No.	4
Subject Matter of resolution	To fix the remuneration of the Statutory Auditors.
Type of Resolution	Ordinary

Particulars	Remote e-votes		Voting at AGM		Total		Percentage %
	Number	Votes	Number	Votes	Number	Votes	
Assent	403	493799373	66	1733169939	469	2226969312	99.89
Dissent	11	2456340	1	20	12	2456360	0.11
Abstain	3	3425514	0	0	3	3425514	0.11

Based on the aforesaid results, I report that the Ordinary Resolution as contained in the Item No. 4 of the Notice dated August 03, 2018 has been passed with requisite majority.

For Agarwal S. & Associates Company Secretaries

New Delhi

any Secre

CS Sachin Agarwal Partner C.P. No. 5910

FCS No. 5774 Date: 12.09.2018 Place: New Delhi

Page 6 of 10

Item No.	5
Subject Matter of resolution	To appoint Smt. Gouri Chaudhury (DIN: 07970522), as Director of the Company.
Type of Resolution	Special

Particulars	Remote e-votes		Voting at AGM		Total		Percentage %
	Number	Votes	Number	Votes	Number	Votes	
Assent	381	481758478	66	1733169939	447	2214928417	100.00
Dissent	26	18180	1	20	27	18200	0.00
Abstain	9	17904569	0	0	9	17904569	

Based on the aforesaid results, I report that the Special Resolution as contained in the Item No. 5 of the Notice dated August 03, 2018 has been passed with requisite majority.

For Agarwal S. & Associates Company Secretaries

37 formal CS Sachin Agarwal

Partner C.P. No. 5910 FCS No. 5774

Item No.	6
Subject Matter of resolution	To raise funds upto Rs. 65,000 crore through issue of bonds/ Debentures/ notes/ debt securities on Private Placement basis in India and/or outside India during the period of one year from the date of current AGM.
Type of Resolution	Special

Particulars	Remote e-votes		Voting at AGM		Total		Percentage %
	Number	Votes	Number	Votes	Number	Votes	
Assent	347	437866104	66	1733169939	413	2171036043	97.37
Dissent	72	58665123	1	20	73	58665143	
Abstain	1	3150000	0	0	1	3150000	

Based on the aforesaid results, I report that the Special Resolution as contained in the Item No. 6 of the Notice dated August 03, 2018 has been passed with requisite majority.

For Agarwal S. & Associates Company Secretaries

Nal S. & As

New Delhi

CS Sachin Agarwal Partner C.P. No. 5910 FCS No. 5774

Item No.	7
Subject Matter of resolution	To approve scheme of arrangement for Amalgamation of PFC Green Energy Limited (Transferor Company) with Power Finance Corporation Limited (Transferee Company).
Type of Resolution	Special

Particulars	Remote e-votes		Voting at AGM		Total		Percentage %	
	Number	Votes	Number	Votes	Number	Votes		
Assent	406	496526483	66	1733169939	472	2229696422	100.00	
Dissent	9	4744	1	20	10	4764	0.00	
Abstain	1	3150000	0	0	1	3150000		

Based on the aforesaid results, I report that the Special Resolution as contained in the Item No. 7 of the Notice dated August 03, 2018 has been passed with requisite majority.

For Agarwal S. & Associates

New Delhi

Company Secretaries

CS Sachin Agarwal Partner C.P. No. 5910

FCS No. 5774

Item No.	8	
Subject Matter of resolution	To appoint Shri Praveen Kumar Singh (DIN: 03548218), as Director (Commercial) of the Company.	
Type of Resolution	Special	

Particulars	Remote e-votes		Voting at AGM		Total		Percentage %
	Number	Votes	Number	Votes	Number	Votes	
Assent	224	343361645	67	1733169959	291	2076531604	100.00
Dissent	10	10573	0	0	10	10573	0.00
Abstain	182	156811035	0	0	182	156811035	

Based on the aforesaid results, I report that the Special Resolution as contained in the an additional item no. 8 circulated to the shareholders vide newspaper publication dated August 31, 2018 has been passed with requisite majority.

For Agarwal S. & Associates

S. & As

New Delhi

Company Secretaries

CS Sachin Agarwal

Partner C.P. No. 5910 FCS No. 5774